न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 42/2023

निर्णय दिनांक: 26.03.2024

ऑनलाईन नम्बर 2023/88

सोनादेवी पत्नी जंगबहादुर जाति सैनी निवासी सिवानी जिला भिवानी राज्य हरियाणा हाल श्रीडूंगरगढ़।

—प्रार्थिनी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित पुराना खसरा नम्बर 825/619 तादादी 8 बीघा भूमि में से प्रार्थिनी ने 6500 वर्गफुट भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.12.1997 को तथा इसी खसरा भूमि में से 1680 वर्गफुट भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 को खरीद की थी। इस प्रकार प्रार्थिनी ने खसरा नम्बर 825/619 में कुल 8180 वर्गफुट भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थिनी के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल संख्या 1130 दिनांक 05.03.2001 के जरिये 8181 वर्गफुट भूमि (6 बिस्वा) की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। प्रार्थिनी ने खरीदशुदा भूमि का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में कर 8180 वर्गफुट भूमि की खातेदारी खसरा नम्बर 825/619 मीन रोही जैतासर में दर्ज कर उक्त रकबा का नक्शा की पैमुद किया गया। प्रार्थिनी आज भी अपनी 8180 वर्गफुट भूमि पर काबिज चली आ रही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा चौसाला जमाबन्दी सन् 2004 में इन्द्राज करते वक्त प्रार्थिनी के वर्तमान खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 809 तादादी 0.0700 हैक्टेयर (7535 वर्गफुट) गलत दर्ज की गई है। वर्तमान खसरा नम्बर 809 जो कि वादिनी की पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर 825/619 मीन की भूमि है तथा उक्त भूमि की खातेदारी में वादिनी के नाम 8180 वर्गफुट (6 बिस्वा) भूमि दर्ज चली आ रही थी। राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से वर्तमामन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी के नाम पूर्व चली आ रही खातेदारी से 646 वर्गफुट भूमि कम दर्ज की गई। प्रार्थिनी ने आवश्यक कार्य हेतु दिनांक 03.03.2023 को वादगत खसरा भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ कि उसके नाम अप्रार्थी की लापरवाही से 646 वर्गफुट भूमि कम की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। प्रार्थिनी ने अप्रार्थी से दिनांक 10.03.2023 को वादगत खसरा भूमि में प्रार्थिनी के नाम चली आ रही 6 बिस्वा भूमि का अंकन दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.28 12:01:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेगे, तुम्हे कोई ऐतराज है तो न्यायालय से आदेश ले आओ। प्रार्थिनी का मौके पर 8180 वर्गफुट भूमि पर कब्जा, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है तथा इतना की रकबा प्रार्थिनी के नाम पूर्व राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी की लापरवाही के कारण प्रार्थिनी के स्वामित्व की खातेदारी भूमि का रकबा राजस्व रिकार्ड में 0.07599 हैक्टेयर की जगह 0.700 हैक्टेयर दर्ज हुआ है, उक्त गलत प्रविष्टि को प्रार्थिनी दुरूस्त करवाकर वादगत खसरा भूमि का रकबा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 809 तादादी 0.07599 हैक्टेयर दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान खसरा नम्बर 809 रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दज रकबा 0.0700 हैक्टेयर को दुरूस्त कर उक्त खसरा नम्बर 809 रोही जैतासर का रकबा 0.07599 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को दिया जाने का निवदेन किया है।

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थिनी द्वारा प्रसतुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होनें व प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 809 रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा 0.0700 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.0759 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 26.3.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.03.28 12:01:45 IST
Reason: SelfAttested